दिनांक 21.05.2018 को माननीय मंत्री, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न "सड़क सुरक्षा परिषद" की बैठक की कार्यवाही:

दिनांक 21.05.2018 को माननीय मंत्री, परिवहन विभाग **श्री संतोष कुमार निराला** की अध्यक्षता में "बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्" की सामान्य बैठक, पुराना सचिवालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

उपस्थितिः— संलग्न सूची के अनुसार।

1. सचिव, परिवहन विभाग के द्वारा माननीय मंत्री, परिवहन विभाग तथा सभी उपस्थित हितधारी विभागों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधि पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

2. माननीय मंत्री, परिवहन—सह—अध्यक्ष, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् ने अपने उद्बोधन में उपस्थित सभी हितधारी विभागों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निदेश एवं विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी के प्रतिवेदन के आलोक में समन्वित रूप से निम्न कार्य करने का निदेश दिया—

(क). सभी जिला के उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा आमंत्रित सदस्यों को अपने जिला के जिला पदाधिकारी से वार्त्ता कर जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से जिला हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव "लीड एजेन्सी" को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ख). हेलमेट, सीट—बेल्ट, स्पीड गवर्नर, रिफ्लेक्टिव टेप के संबंध में व्यापक जन—जागरुकता पैदा किया जाय।

(ग). परिवहन विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन हेतु प्रत्येक सप्ताह मुख्यालय द्वारा निर्धारित दिन पर अपने जिले के अंतर्गत प्रभावी रूप से विशेष जांच अभियान चलाये जाने का निदेश दिया गया।

3. बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए राज्य परिवहन आयुक्त ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में सभी उपस्थित सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के बिन्दुओं पर विभागवार समीक्षा करते हुये आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

4. सचिव, परिवहन विभाग द्वारा सभी हितधारी विभागों से उनके द्वारा तैयार लघु कालिक, मध्यम कालिक एवं दीर्घ कालिक कार्यक्रमों के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए उन विभागों से यह अपेक्षा की गई कि सड़क सुरक्षा के संबंध में तैयार किए गए इन कार्यक्रमों का अनुपालन सुनिश्चित कर नोडल विभाग को ससमय अवगत कराया जाय। अनुपालन के बिन्दु विभागवार निम्नवत् हैः—

परिवहन विभाग

लघु कालिक कार्य	अनुपालन की स्थिति
i. यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन।	परिवहन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों (मो0या0नि0 एवं प्र0अ0नि0) के साथ–साथ पुलिस उपाधीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक स्तर तक के पुलिस पदाधिकारियों को यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए शमन की राशि वसूलने की शक्ति विभाग द्वारा प्रदत्त की गई है।
ii. हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग तथा सेफ ड्राइविंग हेतु सघन जाँच अभियान।	राज्य मुख्यालय, पटना में प्रत्येक शनिवार को विशेष सघन वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है एवं जिला मुख्यालयों में एक दिन पूर्व सूचित करते हुए वाहन जाँच अभियान की कार्रवाई की जा रही है।
iii. परावर्त्तक टेप एवं स्पीड गवर्नर का वाहनों में अधिष्ठापन।	परावर्त्तक टेप हेतु कुल 24 एवं स्पीड गवर्नर हेतु कुल 3 कम्पनियों को अधिकृत करते हुए परावर्त्तक टेप एवं स्पीड गवर्नर के अधिस्ठापन की कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता के आधार पर स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर का अधिष्ठापन किया जा रहा है।
iv. प्रेशर हॉर्न एवं नल्टी ट्यून्ड हॉर्न के प्रयोग के विरूद्ध अभियान चलाना।	समय–समय पर पूर्व में निर्गत आदेश के आलोक में अभियान चलाते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।
v. ओवरलोडिंग के विरूद्ध कार्रवाई।	यह एक सतत प्रक्रिया है तद्नुसार प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है।
vi. चालन अनुज्ञप्ति हेतु प्रभावकारी चालन टेस्ट की व्यवस्था करने के लिए कम्प्यूटर बेस्ड ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर की स्थापना को बढ़ावा देना।	औरंगाबाद जिले में IDTR की स्थापना करते हुए प्रशिक्षण देने की कार्रवाई की जा रही है।
vii. जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित रूप से बैठक आयोजित करवाना।	नियमित रूप से बैठक की जा रही है।
मध्यम कालिक कार्य	**अनुपालन की स्थिति**
i. "सड़क सुरक्षा निधि" को क्रियाशील बनाना।	सडक सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 को अधिसूचित करते हुए निधि को क्रियाशील बनाया जा रहा है।
ii. "बिहार ब्लैक स्पॉट प्रोटोकॉल, 2017" का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।	प्रावधान के आलोक में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
iii ."राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्" एवं उनके अंतर्गत गठित समितियों को सक्रिय करना।	बिहार सड़क सुरक्षा परिषद नियमावली, 2018 को अधिसूचित करते हुए उसके अंतर्गत गठित समितियों को सक्रिय करने का अनुरोध सभी हितभागी विभागों से किया गया है एवं अनुपालन की प्रतीक्षा की जा रही है।
दीर्घ कालिक कार्य	**अनुपालन की स्थिति**
i. सुरक्षित विद्यालय बस परिचालन नीति का निरूपण।	प्रक्रियाधीन है।

ii. Inspection and Certification Center की स्थापना हेतु कार्रवाई करना,	Inspection and Certification Center की स्थापना हेतु बिहटा के सिकन्दरपुर में उपलब्ध 3 एकड़ जमीन हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
iii. आई0पी0सी0 एवं सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने हेतु गृह विभाग एवं विधि विभाग से समन्वय,	इस संबंध में गृह विभाग एवं विधि विभाग से अनुरोध किया गया है।
iv. Road Accident Data Management System के लिए पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय,	कार्ययोजना के अनुसार Road Accident Data Management System की स्थापना राज्य सरकार के सहयोग से पुलिस विभाग में किया जाना है। परिवहन विभाग द्वारा इस सबध में अग्रेत्तर कार्रवाई किया जा रहा है।
v. परिवहन विभाग का कम्प्यूटराईजेशन,	विभाग के मुख्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में परविहन विभाग से संबंधित अधिकांश कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है।
vi. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को प्रभावी बनाना,	इस संबंध में पटना के गाँधी मैदान, कारगिल चौक से दानापुर स्टेशन एवं दानापुर बस स्टैण्ड (भाया बेली रोड) तथा पटना के गाँधी मैदान, कारगिल चौक से एम्स (भाया फुलवारी शरीफ)प्रत्येक 10 मिनट पर सिटी बस सेवा एवं गाँधी मैदान से एन0 आई0 टी0 मोड़ तक छात्रों के लिए प्रत्येक 15 मिनट पर रिंग बस सर्विस सेवा प्रारंभ हो चुका है। अन्य कई रूटों पर भी बस सेवा का प्रस्ताव प्रस्तावित है।
vii. सभी जिलों में ड्राईविंग स्कूल खोलने की दिशा में कार्रवाई।	इस संबंध में सभी जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसे अनुशंसा के साथ भारत सरकार को भेजा जायेगा।

शिक्षा विभाग।

लघु कालिक कार्य	अनुपालन की स्थिति
i . सड़क सुरक्षा पर विद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना,	समय–समय पर विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य के 119 विद्यालयों में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
ii. विद्यालय सुरक्षित परिवहन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करवाना,	यह प्रक्रियाधीन है।
iii. सड़क किनारे के विद्यालयों के शिक्षकों एवं बच्चों के लिए यातायात मार्गदर्शिका विकसित करना।	विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा से संबंधित उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा शिक्षा विभाग को सड़क किनारे के विद्यालयों के शिक्षकों एवं बच्चों को सड़क पार कराने के लिए मार्गदर्शिका विकसित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

	लघु कालिक कार्य	अनुपालन की स्थिति
i.	फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त करना,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
ii.	कम चौड़ी सड़कों पर अतिक्रमण कर ठेला रखने तथा मोटर साईकिल वगैरह पार्क करने के प्रयासों पर रोक लगाना,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
iiii.	ठेला वेंडरों के लिए सड़क से दूर स्थान चिन्हित करना,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
iv.	पर्याप्त मात्रा में Street Light & Traffic Light लगाया जाना,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
v.	बस स्टैण्ड को अतिक्रमण से मुक्त रखना तथा उसमें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
vi.	व्यस्त तथा संवेदनशील सड़कों पर CCTV कैमरों का अधिष्ठापन करना,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
vii.	नगर बस सेवाओं के परिचालन हेतु परिवहन निगम के साथ समन्वय स्थापित करना,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
viii.	वाहनों के पार्किंग हेतु स्थल को चिन्हित करना,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
ix.	आवश्यकतानुसार मल्टी स्टोरीज पार्किंग की व्यवस्था करना।	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण।

	लघु कालिक कार्य	अनुपालन की स्थिति
i.	ब्लैक स्पॉट के निर्धारण एवं निराकरण हेतु समय–सीमा का निर्धारण,	लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6 महीना से 12 महीना का समय–सीमा निर्धारित करते हुए कुल 124 में से 74 ब्लैक स्पॉट का परिमार्जन किया जा चुका है। शेष पर कार्रवाई की जा रही है।
ii.	यातायात संकेतक चिन्हों का प्रावधान सुनिश्चित करना,	पथ निर्माण विभाग से यह आश्वासन प्राप्त है कि आवश्यकतानुसार यातायात संकेतक चिन्हों का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जायेगा।
iii.	नये पथ के निर्माण में रोड सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य करना एवं इसके लिए अभियंताओं को प्रशिक्षित करना,	अनुपालन किया जा रहा है।
iv.	सड़कों के किनारे कार्यरत संस्थानों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करना,	इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6 माह से 24 माह के अंदर लगभग 300 संस्थानों में सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में व्यापक जागृति हेतु कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।
v.	अधिकाधिक संख्या में जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण एवं पेंटिग,	आवश्यकतानुसार 12 माह से 36 माह तक इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा।

मध्यम कालिक / दीर्घ कालिकः–		अनुपालन की स्थिति
i.	Pedestrian के लिए विशेष रूप से फुटपाथ की व्यवस्था आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाय,	आवश्यकतानुसार 12 माह से 60 माह के अन्दर इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा।
ii.	ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण पथों में पी०सी०सी० पथांशों के किनारे हार्ड सोल्डर प्रदान किया जाय ताकि दुर्घटनाएँ कम हो सके,	आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
iii.	NHAI/RCD/RWD द्वारा सघन आबादी क्षेत्र में अंडरपास / उपरीपार पथ का निर्माण एवं चालू करवाना	लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 12 माह से 60 माह का समय–सीमा निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य विभागः–

लघु कालिक कार्य		अनुपालन की स्थिति
i.	राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं सदर अस्पतालों में आपातकालीन ट्रॉमा केयर केन्द्रों की सुविधा का विकास,	प्रक्रियाधीन।
ii.	सड़क सुरक्षा हेतु प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण की व्यवस्था,	प्रक्रियाधीन।
iii.	अस्पतालों की शिकायतों के निवारण हेतु हेल्पलाईन व्यवस्था की शुरूआत,	प्रक्रियाधीन।
iv.	चिकित्सकों एवं अन्य सहयोगियों के साथ QMRT (Quick Medical Resopnse Team) का गठन,	प्रक्रियाधीन।
v.	"ब्लड बैंक" में पर्याप्त (ब्लड) रक्त की व्यवस्था,	प्रक्रियाधीन।
vi.	सड़कों के किनारे स्थित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का उन्नयन,	प्रक्रियाधीन।
vii.	Good Samaritan को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था।	राज्य के सभी सिविल सर्जन / सभी अधीक्षक / प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल को गुड समेरिटन के बचाव में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
मध्यम कालिक		
i.	जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था तथा उनका सुदृढ़ीकरण,	प्रक्रियाधीन।
ii.	आपातकालीन चिकित्सा हेतु आधारभूत संरचना का विकास।	प्रक्रियाधीन।
दीर्घ कालिक		**अनुपालन की स्थिति**
i.	महत्वपूर्ण स्थलों पर ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण,	प्रक्रियाधीन।
ii.	आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों की व्यवस्था,	प्रक्रियाधीन।
iii.	राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य उच्च पथों पर स्थित निजी ट्रामा केयर के साथ अनुबंध नीति तैयार करना एवं अनुपालन।	प्रक्रियाधीन।
iv.	विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा केन्द्र को अपग्रेड करना,	प्रक्रियाधीन।

v.	टॉल फ्री नम्बर 102, 108 एवं 1099 पर एम्बुलेंस की सेवाएँ को और भी प्रभावी बनाया जाय,	प्रक्रियाधीन।
vi.	भारत सरकार के "पाइलट प्रोजेक्ट" के अंतर्गत पटना जिला के विक्रम में "ट्रॉमा केयर" केन्द्र को परिचालित करना।	प्रक्रियाधीन।

गृह विभाग:–

	लघु कालिक कार्य	अनुपालन की स्थिति
i.	सड़क सुरक्षा की सघन निगरानी एवं अनुश्रवण,	सड़क सुरक्षा की सघन निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु पुलिस महानिरीक्षक के साथ–साथ एक पुलिस उप–महानिरीक्षक के पद सृजन का प्रस्ताव है।
ii.	Black Spot चिन्हित करने की कार्रवाई,	अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा NH-101, SH-09, MDR-14 कुल 124 Black Spot चिन्हित किए गये हैं। इनमें से कुल 74 का परिमार्जन किया जा चुका है एवं शेष पर पथ निर्माण से जुड़े ऐजेंसियों द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।
iii.	संवेदनशील सड़क दुर्घटना हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली का विकास,	प्रक्रियाधीन।
iv.	सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाना,	समय–समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है।
v.	MV Act के तहत प्रदत्त शमन की शक्ति का यातायात नियमों के अनुपालन में कड़ाई से प्रयोग एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुश्रवण।	पुलिस उपाधीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक स्तर तक के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोपियों के विरूद्ध प्रदत्त शक्तियों के आलोक में शमन की राशि वसूली जाती है।
	मध्यम कालिक	**अनुपालन की स्थिति**
i.	जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रभावी रणनीति बनाना,	जिला सड़क सुरक्षा समितियो की बैठक में इस बिन्दु पर आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जाता है।
ii.	ऑकड़ों का संकलन एवं समेकित प्रतिवेदन तैयार करना, यातायात नियमों के उल्लंधन को चिन्हित करने हेतु आधुनिक तंत्र विकसित करना,	प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
iii.	Breath Analyser का उपयोग,	इसका उपयोग किया जा रहा है।
iv.	यातायात नियंत्रण हेतु CCTV Control Room की स्थापना।	प्रक्रियाधीन।
	दीर्घ कालिक	**अनुपालन की स्थिति**
i.	नये यातायात थानों का सृजन एवं प्रभावी उपयोग,	कुल 9 नये थानों का सृजन किया गया है।
ii.	राज्य के पुलिस कर्मियों को यातायात नियमों का गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना,	व्यवस्था की जा रही है।
iii.	सड़क दुर्घटना में दोषियों के विरूद्ध दंड के प्रावधानों को कठोर बनाने हेतु कार्रवाई।	इस बिन्दु पर प्रस्ताव विचाराधीन है।

विधि विभागः–

अनुपालन बिन्दु		
i.	प्रत्येक जिला में न्यायिक दण्डाधिकारी, यातायात (Judicial Magistrate, Traffic) के पद का सृजन,	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
ii.	यातायाता नियमों के उल्लंघन हेतु दण्ड–प्रावधान को कठोर बनाने की कार्रवाई।	प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

5. सचिव, परिवहन विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि शिक्षा विभाग जागरूकता कार्यक्रमों को हाई स्कूलों तक सीमित नहीं कर कॉलेज/यूनिवर्सिटी तक जागरूकता कार्यक्रम को चलायें।

(अनुपालन–शिक्षा विभाग/लीड एजेंसी)

6. बस स्टैण्ड में हीं ड्राईवरों को सुरक्षित यात्रा के संदर्भ में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन–परिवहन विभाग/लीड एजेंसी)

7. सचिव, परिवहन विभाग ने एन0एच0ए0आई0 के उपस्थित प्रतिनिधि से परिषद् की अगली बैठक में किसी वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

8. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, **श्री विनय कुमार** द्वारा सड़क सुरक्षा विषय पर विस्तृत चर्चा के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया :–

(क) उनके द्वारा बताया गया कि "वर्ष 2010 से 2020 इन्टरनेशनल डिकेड फॉर रोड सेफ्टी" घोषित है।

(ख) उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बड़े राज्यों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं से होनेवाली मृत्यु दर में बिहार 13 वें स्थान पर है। विगत तीन महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है, परन्तु मृत्यु दर गत वर्ष से 5–7 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2017 (जनवरी से मार्च) में जहाँ कुल 2155 सड़क दुर्घटनाएँ विभिन्न कारणों से प्रतिवेदित थी वहीं 2018 में घटकर 2068 हुई है।

(ग) सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु कुल 09 ट्रैफिक थानों का सृजन किया गया है तथा द्वितीय चरण में वैसे शहर जिनकी जनसंख्या 1–2 लाख है; में भी नये ट्रैफिक थाने की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

(घ) उनके द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर पर क्रेन, एम्बुलेंस एवं पुलिस पेट्रोलिंग वाहन होने से "गोल्डेन ऑवर" में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा तथा हताहतों की जीवन रक्षा की जा सकेगी।

(ड़) उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे जिलों यथा, पटना जहाँ सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या 500 से अधिक है, तथा औरंगाबाद जहाँ मृतकों की संख्या 200 से अधिक है, वहाँ दुर्घटना के कारणों की जॉच/विश्लेषण कर रिपोर्ट देने के लिए

किसी सेवानिवृत्त अभियंता की सेवा ली जाय और सड़क दुर्घटना के अनुसंधान प्रणाली को वैज्ञानिक बनाया जाय। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति दुर्घटना जॉच/रिपोर्ट हेतु मानदेय भी दिया जाय।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(अनुपालन–लीड एजेंसी)

(च) उन्होंने सुझाव दिया गया कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर जाँच हेतु पुलिस के अतिरिक्त वहाँ के स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर दुर्घटना के बिंदुओं का संयुक्त रूप से विश्लेषण करना चाहिए।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/परिवहन विभाग)

9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, **श्री अनुपम कुमार** ने सड़क सुरक्षा हेतु विभागों के सहयोग से व्यापक जन–जागरूकता कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार पर विशेष बल देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क सुरक्षा हेतु जन–जागरूकता कार्यक्रमों के चलाये जाने की आवश्यकता बतायी।

10. हितधारी विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारियों के द्वारा भी उनके विभागों में सड़क सुरक्षा से संबंधित किये जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति से सुरक्षा परिषद् को अवगत कराया।

11. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी द्वारा बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में होनेवाली मृत्यु दर पर खेद व्यक्त किया गया है। इस संबंध में सचिव, परिवहन विभाग ने निदेश दिया कि सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी अपने जिले के जिलाधिकारी के साथ बैठक करें। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सार्थक उपाय निकाला जाय।

(अनुपालन–जिला सड़क सुरक्षा समिति)

12. बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को मदद पहुँचाने वाले अच्छा मददगार (Good Samaritan) व्यक्ति को 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमो में सम्मानित करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जाय, साथ हीं अच्छा मददगार को किसी तरह का कोई पुलिस या अस्पताल प्रबंधन द्वारा अनावश्यक प्रश्न पूछ कर परेशान नहीं किया जाय और इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी सिविल सर्जन)

13. बैठक में सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए कड़े एवं प्रभावकारी कदम उठाए जाएँ तथा सभी संबंधित विभाग इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करे।

(अनुपालन–सभी हितधारी विभाग)

14. सदस्य सचिव द्वारा "सड़क सुरक्षा परिषद्" के समक्ष अनुमोदन हेतु निम्न प्रस्ताव प्रस्तावित किये गए:–

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>प्रस्ताव</th><th>परिषद् का निर्णय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>i.</td><td>"लीड एजेन्सी" को क्रियाशील बनाने हेतु सभी हितधारी विभागों द्वारा पदाधिकारी/कर्मचारियों का निम्नवत् मनोनयनः–
(1) लीड एजेन्सी एक स्वतंत्र इकाई होगी, जो राज्य परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में पुलिस विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य पणधारी विभाग तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित राज्य की संस्थाओं से समर्थित पर्याप्त एवं सक्षम पूर्णकालिक पदाधिकारियों एवं कर्मियों से निर्मित होगी और एतद् हेतु संबंधित विभाग द्वारा पदाधिकारियों एवं कर्मियों का मनोनयन किया जायेगा।
(2) परिषद् के सदस्य सचिव की देखरेख में लीड एजेन्सी कार्य करेगी।
(3) लीड एजेन्सी के सदस्य निम्नवत् होंगे :–
(i) परिवहन विभाग के समन्वय समिति का प्रभारी पदाधिकारी राज्य परिवहन आयुक्त– नोडल पदाधिकारी;
(ii) पुलिस विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून कोटि के पदाधिकारी) –सदस्य;
(iii) स्वास्थ्य विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (असैनिक सह–शल्य चिकित्सक से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;
(iv) पथ निर्माण विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता से अन्यून कोटि के पदाधिकारी, से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;
(v) ग्रामीण कार्य विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता से अन्यून कोटि के पदाधिकारी, से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;
(vi) शिक्षा विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;
(vii) नगर विकास एवं आवास विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;</td><td>प्रस्ताव स्वीकृत।</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>"लीड एजेन्सी" को क्रियाशील किये जाने हेतु संविदा आधारित निम्न पदों की स्वीकृति
<table>
<tr><th>क्रं0सं0</th><th>पद का नाम</th><th>पद की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>कार्यपालक पदाधिकारी</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>विषय विशेषज्ञ</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सड़क सुरक्षा अभियंता</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कार्यालय अधीक्षक</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>लेखा पदाधिकारी</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>लेखा सहायक</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>डाटा विश्लेषक/प्रोग्रामर</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>प्रस्ताव स्वीकृत</td></tr>
</table>

	8	कार्यपालक सहायक/निजी सहायक	3	
	9	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3	
	10	लेखापाल	1	
	11	आई0टी0 ब्वाय/गर्ल	3	
		कुल पद–	19	
iii..	ई–चालान हेतु 200 हैंड हेल्ड डिवाईस एवं 5 स्पीड गन रडार का क्रय,			प्रस्ताव स्वीकृत।
iv..	आवश्यक व्यय हेतु "बिहार आकास्मिकता निधि" से अग्रिम निकासी हेतु सचिव, परिवहन विभाग को प्राधिकृत करना,			प्रस्ताव स्वीकृत।
v..	प्रत्येक "जिला सड़क सुरक्षा समिति" एवं सभी पुलिस अधीक्षकों को एक–एक लाख रूपये एवं पटना यातायात पुलिस को 10 लाख रूपये के आवंटन,			प्रस्ताव स्वीकृत।
vi.	सेमुलेटर आधारित चालन अनुज्ञप्ति जांच की व्यवस्था हेतु सेमुलेटर क्रय करना,			प्रस्ताव स्वीकृत।
vii..	पटना में 20 यातायात जांच चौकी की स्थापना,			प्रस्ताव स्वीकृत।
viii.	प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण का प्रस्ताव,			प्रस्ताव स्वीकृत।
ix..	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला तथा IEC मद में राशि खर्च करने का प्रस्ताव,			प्रस्ताव स्वीकृत।
x.	Lead Agency की स्थापना हेतु उपस्कर इत्यादि का क्रय,			प्रस्ताव स्वीकृत।
xi.	बस पड़ावों को आधुनिक व सुरक्षित बनाना,			प्रस्ताव स्वीकृत।
xii.	सड़क सुरक्षा हेतु प्रचार सामग्री तैयार करवाना।			प्रस्ताव स्वीकृत।

उपर अंकित कंडिका 14 की उप कंडिका i से xii पर उल्लिखित प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

राज्य परिवहन आयुक्त महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

6/6/18

सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, बिहार।

ज्ञापांक–06/सड़क सुरक्षा (परिषद्)/06/2015/3829/परि0, पटना, दिनांक– 8/6/18

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/शिक्षा विभाग/वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/पथ निर्माण विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी–सह–अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, छज्जूबाग, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी सिवल सर्जन/क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण, बिहार/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/18

सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, बिहार।

ज्ञापांक–06/सड़क सुरक्षा (परिषद्)/06/2015/3829/परि0, पटना,दिनांक–8/6/18

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, परिवहन विभाग बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/अपर सचिव, परिवहन विभाग/उप सचिव, परिवहन विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव, परिवहन विभाग एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/18

सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, बिहार।

ज्ञापांक–06/सड़क सुरक्षा (परिषद्)/06/2015/3829/परि0, पटना,दिनांक– 8/6/18

प्रतिलिपि– सचिव, सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी, कमरा न0–249, विज्ञान भवन एनैक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110011 e-mail: roadsafetysc@gmail.com./संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110011 e-mail: abhay.damle@gov.in को सूचनार्थ प्रेषित।

6/6/18

सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, बिहार।